न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 435/2022 जिला जयपुर

1. फूलचन्द पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. सुरेन्द्र पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
3. सुनील पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
4. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
5. सीताराम पुत्र रामनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र देगडा पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम सिंवार तहसील व जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट

2. बाबूलाल पुत्र काना जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. शेरसिंह पुत्र काना जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
4. संतोष पत्नि श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
5. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
6. कमला देवी पत्नी भंवरलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
7. लादी देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
8. नीमू देवी पत्नी सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
9. कौशल्या देवी पत्नी बालूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
10. मन्ना देवी पत्नी राधेश्याम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
11. गजेन्द्र पुत्र बालुराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
12. पिंकू पुत्र बालुराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
13. शंकर पुत्र जगन्नाथ जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
14. विष्णु पुत्र जगन्नाथ जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

15. सुनील पुत्र राधेश्याम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
16. मुकेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिंवार, मीणो की ढाणी, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
17. कल्याण सहाय पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर सी–95 कानाविहार अयोध्या नगर लालरपुरा, डायरेक्टर चौपडा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नम्बर 11–12, विवेक विहार, गांधी पथ पश्चिम, लालरपुरा दो सौ फीट बाईपास जयपुर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

–प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम
जयपुर प्रार्थना पत्र क्रमांक: कोर्ट / 2022/5016
दिनांक 12.07.2022 प्रार्थना पत्र संख्या 31/2022
द्वारा प्रस्तुत महेन्द्र देगडा

उपस्थित–
1. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री रामकिशोर रोलानियां रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–31.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 12.07.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी. पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंवार तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 274/1091 एवं खसरा नं. 250/1 के संबंध में रेस्पोडेण्ट् संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार जयपुर को सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 12.07.2022 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री फूलचन्द पुत्र रामजीलाल जाति मीणा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम दिनांक 12.07.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिंवार तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 274/1091 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी एवं प्रोफार्मा अप्रार्थीगण खातेदार अंकित है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274/1091 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा के पश्चिम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिशा में खसरा नम्बर 250 रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान को नक्शे में अलग करने की लाईन उत्तर से दक्षिण की और नक्शा ट्रेस चकतराशी में अंकित है। उक्त लाईन पर मौके पर 6–7 फीट मौटाई में मिटटी की डोल जो 70 वर्ष से भी अधिक समय से निर्मित चली आ रही है। वर्ष 2019 में खसरा नम्बर 250 के खातेदारान द्वारा उक्त मिटटी की डोल पर तारबंदी की हुई है। उक्त मिटटी की डोल को ही खातेदारान अपनी–अपनी सीमाए मानकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि की पूर्व में सन् 1970 को पत्थरगढी की जा चुकी है। यह कि उक्त तमाम तथ्यो की रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण जानकारी होने व प्रकरण मे उपस्थित होने के बावजूद सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोंडेन्ट महेन्द्र देगडा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र विषय सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने बाबत् दिनांक 12.07.2022 को अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना प्रस्तुत कर कथन किया कि मेरे कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सिवांर तहसील व जिला जयपुर मे खसरा नम्बर 250/1 है, जिसके सीवजोंड पूर्व की ओर खसरा नम्बर 274 /1091 स्थित है। दोनो खसराओ की सीमाओ के मध्य गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 255 है। जो दोनो भी सीमाओ को अलग–अलग करता है। उक्त खसरा नम्बर 250/1 व 274/1091 मौके पर वर्तमान मे खाली है। कोई फसल नही है। उक्त दोनों काश्तकारो के मध्य आये दिन सीमाओ को लेकर वाद विवाद होता है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना है, इस कारण उक्त दोनो खसरा नम्बरो की जमांबदी अनुसार नक्शे की नाप अनुसार दोनो की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 12.07.2022 को ही प्रार्थी के एकतरफा आवेदन पर बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये और बिना तहसील रिपोर्ट प्राप्त किये सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को ताक में रखकर खसरा नम्बर 250/1 व 274/1091 का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गयें जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम दिनांक 12.07.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिंवार तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 250/1 भूमि के प्राथीगण एकमात्र काश्तकार खातेदार है एवं काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। खसरा नम्बर 250/1 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 274 /1091 स्थित है। दोनो खसराओ की सीमाओ के मध्य गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 255 है। जो दोनो भी सीमाओ को अलग–अलग करता है। खसरा नं. 250/1 व 274/1091 मौके पर वर्तमान मे खाली है। कोई फसल नही है। उक्त दोनों काश्तकारो के मध्य आये दिन सीमाओ को लेकर वाद विवाद होता है उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्दबुर्द कर रहे हैं जबकि प्रार्थी ने नियमानुसार ही अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी महेन्द्र देगडा पुत्र छोटूराम जाति जाट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि वाके ग्राम सिंवार तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 250/1 भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.07.2022 के द्वारा विवादित आराजी के पत्थरगढी करने के आदेश दिए गए। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 250/1 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 274 /1091 स्थित है जो कि उसकी आराजी है एवं आने–जाने का आम रास्ता है जिसका अपीलांट्स उपयोग–उपभोग कर रहे हैं एवं उन्हें बिना सुनवाई एवं पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि चूंकि उक्त भूमि के अपीलांट भी समीपस्थ खातेदार हैं। अतः हम समझते हैं कि अपीलांट की विधिवत तामिल कराकर, सबूत व साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का निर्णय दिनांक 12.07.2022 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।